भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांक: 21/05/2019

File No. Tour Programme/2/VC/2019/RU-III

सेवा में,

1. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर, प्लॉट नंबर सी–26, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051

2. सचिव,
आदिवासी विकास विभाग, गुजरात सरकार,
6, मंजिल, ब्लॉक 8,नवीन सचिवालय,
गांधीनगर गुजरात 382010

विषयः दिनांक 12.01.2019 से 15.01.2019 को माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा कलकाता (पश्चिम बंगाल) एवं सिलवासा (दादर, नगर हवेली) में ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा में की गए समीक्षा का कार्यवृत ।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर कथन है कि सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 12.01.2019 से 15.01.2019 को माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा कलकाता (पश्चिम बंगाल) एवं सिलवासा (दादर, नगर हवेली) में ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा में की गए समीक्षा की रिपोर्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि समीक्षा रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर भिजवाने का कृपा करें।

भवदीय,

21/5/2019

(डॉ. ललित लट्टा)
निदेशक

प्रतिलिपिः

1. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष

प्रवास प्रतिवेदन
12 जनवरी 2019 से 14 जनवरी 2019 कलकत्ता एवं सिलवासा

1. दौरा करने वाले पदाधिकारियों के नाम	**सुश्री अनुसुईया उइके** उपाध्यक्ष **श्री जितेन्द्र कुमार सोलंकी** उपाध्यक्ष के सहायक निज सचिव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार
2. दौरा की तिथि, दिन, दिनॉक, वर्ष	**दिनॉक 12 जनवरी 2019** **से** **दिनॉक 15 जनवरी 2019 तक**
3. दौरा किये गये स्थान	**कोलकाता (पश्चिम बंगाल) एवं** **सिलवासा (दादरा, नगर हवेली केन्द्र शासित प्रदेश)**
4. मुख्य व्यक्ति /अधिकारीगण संगठनों से मिले	**निम्नानुसार**

1)	**आल इंडिया बैंक आफ बड़ौदा,** अनुससूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी वेल्फेयर एसोशियेशन के चौदहवें अधिवेशन कोलकाता के कार्यक्रम में – श्री के.आर.कनौजिया, श्री अपूर्णदास गुप्ता, श्री किशोर पी.खरात, श्री अशीम पंडा, श्री रवि निकाले, श्री हलधर, श्री जगन्नाथ भद्र, श्री राजकुमार, श्री कृपाकरण, श्री गेडाम, श्री सुदर्शन, श्री वीरसिंह, श्री सुरेश राम महासचिव, श्री राम करोतिया, के अतिरिक्त भारतवर्ष में बैंक आफ बड़ौदा में कार्यरत लगभग 800 सदस्यों ने भाग लिया।
2)	**आदिवासी एकता परिषद,** का 26वॉ अखिल भारतीय आदिवासी सॉस्कृतिक एकता महा– सम्मेलन, सिलावासा दादरा और नगर हवेली,(केन्द्र शासित प्रदेश) के कार्यक्रम में श्री अशोक चौधरी, श्री भूपेन्द्र चौधरी, श्री विक्रम परते, डॉ. प्रदीप गरासिया, श्री ए.जी. पटेल, श्री प्रभात पटेल, श्री लक्षमन वल्वी, श्री संजय वल्वी, श्री वी.एन सलामे, श्री अश्विन वसावे, श्री लक्षमन घोटके, श्री देवा पवार, श्री यशवंत, श्री मधुकर उइके, श्री निकोलस, श्री शिवराज जी दामोर, कालूराम मोवड़े, सांगलिया भाई, श्री सुनील भाई गावित विधायक, डॉ. तुषार चौधरी, पूर्व मंत्री, श्री पुनाजी भाई गावित, श्री अनंत पटेल, श्रीमती झूमा सोलंकी, विधायक, श्री रामलाल मीणा, विधायक, श्री नटुभाई पटेल, सांसद दादरा नगर हवेली, श्री जितुभाई चौधरी, अमरसिंह चौधरी, श्री एस.एस कुमरे, श्री अनिल जोशियारा, श्री अजय खर्डे, श्री धूमसिंह चौहान, श्री देवेन्द्र सिंह कटारा, श्री पदमाकर बलवी, अनिल भाई भगत, श्री मंगलभाई गावित, श्री मुकेश बिरवा, श्री सुदर्शन कन्हर, श्री गोविन्द प्रधान, श्री डेमे उराव ओडिसा, श्री सोनमभाई सोपारी जम्मू काश्मीर, श्री ललित लकडा दिल्ली, कुमारी अर्पिता, श्रीमती अनीता, आन्धप्रदेश एवं सम्पूर्ण भारत वर्ष से जनजाति समाज के करीब 30000 सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसके साथ ही सांसद, केन्द्रीय व राज्य सरकार के पूर्व मन्त्री, विधायक सहित आदि उपस्थित रहे।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

5. दौरे के मुख्य बिन्दु

A. आल इंडिया बैंक आफ बड़ौदा, अनुससूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी वेल्फेयर ऐसोशियेशन के चौदहवें अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता।

B. आदिवासी एकता परिषद, के 26वें अखिल भारतीय आदिवासी सॉस्कृतिक एकता महा सम्मेलन, सिलावासा दादरा और नगर हवेली (केन्द्र शासित प्रदेश) में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता।

C. जनजाति प्रतिनिधियों से भेंट कर उनके सुझाव एवं समस्याओं को सुना गया।

दिनॉक 13 जनवरी 2019 कोलकाता

1. आल इंडिया बैंक आफ बड़ौदा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी वेल्फेयर एसोशियेशन का चौदहवॉ अधिवेशन कोलकाता के इस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर साल्टलेक सिटी कोलकाता में आयोजित किया गया, जिसमें मेरे द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया गया।

(आल इंडिया बैंक आफ बड़ौदा, अनुससूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी वेल्फेयर ऐसोशियेशन के चौदहवें अधिवेशन कोलकाता में सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ. एवं अन्य अतिथिगण)

2. उपस्थित प्रतिनिधियों ने अपने उदबोधन में मुख्यरूप से कहा कि :–

   A. बैंकों में अनुसूचित जनजाति जाति वर्ग के बैकलाग को पूरा किया जाना चाहिए।

   B. नार्थ–ईस्ट रीजन में जन–जातियों का हरासमेन्ट होता है इसे प्रभावी तरीके से रोका जाना चाहिए।

3. कान्फ्रेन्स का शुभारंभ डॉ.बी.आर. अम्बेडकर जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया। मैंने अपने उदबोधन में कहा कि श्री अंबेडकर जी चाहते थे कि संविधान में उनके द्वारा किये गये प्रावधान प्रभावी तरीके से लागू हों और उनकी निगरानी तंत्र हो। इसलिये संवैधानिक प्रावधानों के संरक्षण के लिये उन्होंने संविधान में ही अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त करते हुए प्रावधान कर दिया था। उनके प्रयासों से ही जनजाति आयोग का गठन हुआ है।

4. आज इस बात की आवश्यकता है कि बैंकर्स को सरकारी योजनाओं में गरीबों को उनके आर्थिक उत्थान के लिये बिना गारंटी के लोन देना चाहिए। आयोग में हम आपकी समस्याओं का समाधान करेगें। आप गरीबों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएँ। आयोग जनजाति समाज का सुरक्षा कवच है। इसलिये हमारा प्रयास है कि आयोग सरकारी कार्यालय के समान कार्य न करते हुए मित्र सहयोगी के रूप में कार्य करें

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

इसका हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आयोग में आने वाले व्यक्तियों को संविधान प्रदत्त अधिकार दिलाना हमारा कर्त्तव्य है।

5. साथ ही मैंने अपने उदबोधन में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के उद्देश्य, संवैधानिक प्रावधान, कार्यप्रणाली, अनुसूचित जनजाति समाज के संरक्षण के लिये संवैधानिक प्रावधान, उनके लिये बनाए गए एक्ट, नियम कानून इत्यादि की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। आयोग की कार्य प्रणाली तथा जो प्रकरण आयोग को अपीलों के माध्यम से प्राप्त हुए और सुनवाई में सफल रहे ऐसे प्रकरणों के उदाहरण प्रस्तुत कर सभी उपस्थित प्रतिनिधियों को जागरूक करने का प्रयास किया गया।
6. मैनें अपने संबोधन में बैंक के अधिकारियों का आहवान किया कि वे समाज के ऐसे गरीब व्यक्तियों को जिन्हें कि आवश्यकता है, शासकीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहयोग करें ताकि उनका आर्थिक स्तर ऊपर उठ सके। जो व्यक्ति एक बार आरक्षण के लाभ लेकर ऊपर आ जाता है उसका दायित्व है कि वह अपने समाज के निम्न तबके के व्यक्तियों को सहयोग करते हुए उन्हें सभी प्रकार की समानता का अधिकार दिलाएँ।
7. यह भी कहा कि जो व्यक्ति पिछड़े गरीब, जरूरतमंद हैं और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं वे आधुनिक संचार साधनों तथा शासकीय योजनाओं और प्रावधानों से से अनभिज्ञ हैं इसलिये शासकीय योजनाओं व प्रावधानों से हमें उन्हें अवगत कराते हुए लाभांवित करना चाहिए।

(आल इंडिया बैंक आफ बड़ौदा, अनुससूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी वेल्फेयर ऐसोशियेशन के चौदहवें अधिवेशन कोलकाता को संबोधित करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.)

दिनॉक 14 जनवरी 2019 सिलवासा (दादरा, नगर हवेली)

8. आदिवासी एकता परिषद, का 26वॉ अखिल भारतीय आदिवासी सॉस्कृतिक एकता महा सम्मेलन, सिलावासा, दादरा और नगर हवेली (केन्द्र शासित प्रदेश) में आयोजित किया गया। जिसमें मेरे द्वारा सहभागिता करते हुए देशभर से उपस्थित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों से भेंट एवं चर्चा कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों को सुना गया।
9. आदिवासी एकता परिषद द्वारा मुख्यरूप से जिस उद्देश्य को अपने मूल में रखकर कार्य करती है वह इस प्रकार से हैं :–

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

A. आदिवासी अस्मिता, आत्म–सम्मान, आदिवासी कला, सॅस्कृति, इतिहास, ज्ञान, स्वालंवन, अस्तित्व और प्रकृति सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लोकर आदिवासी गैर–आदिवासी समाज में वैचौरिक आन्दोलन चला रहा है।

B. संस्था का यह मत है कि प्रकृति व आदिवासी समाज के अस्तित्व को संकट भोगवादी सभ्यता विकसित होने से उत्पन्न हुआ है, इसको कैसे रोका जा सके।

C. इस समय विकास के नाम पर प्रकृति का अंधाधुन्द शोषण हो रहा है और आदिवासी जीवन मूल्यों जैसे कि अस्मिता, सादगी, प्रेम, सहिष्णुता, स्वतंत्रता, सामूहिकता एवं स्व–शासन की व्यवस्था समाप्त हो रही है।

D. अमर्यादित प्राकृतिक दोहन से पर्यावरण को नुकशान होने के साथ ही साथ आदिवासियों को रोजी रोटी की तलाश में विस्थापित होना पड़ रहा है।

E. संस्थान द्वारा उक्त सभी कारणों से इस वर्ष के महा–सम्मेलन में आदिवासी भाषा एवं आदिवासी परंपरा में लोकशाही मूल्य विषय पर चिंतन किया गया।

10. उक्त कार्यक्रम तीन दिवसीय था जिसमें मेरे द्वारा केवल 14 जनवरी 2019 को इस सम्मेलन में भाग लिया गया और उक्त परिपेक्ष्य में आयोग के संबंध में उपस्थित जन समूह को विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुए जनजाति समाज को जागरूक करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम स्थल पर पहुॅचने पर जनजाति समाज एवं आयोजकों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया।

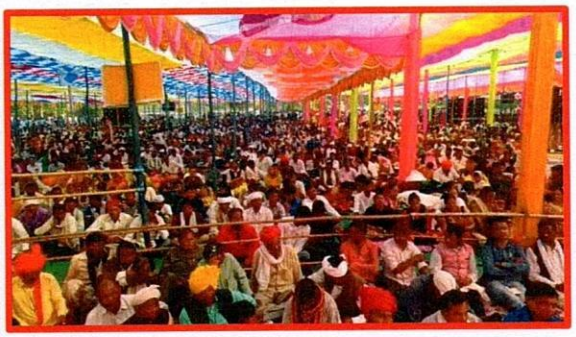

(आदिवासी एकता परिषद, के 26वें अखिल भारतीय आदिवासी सॉस्कृतिक एकता महा–सम्मेलन, सिलावासा में सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ., की अगवानी अभिवादन एवं उपस्थित जनजाति समुदाय)

11. संस्था के महा–सम्मेलन में दिनॉक 13 जनवरी 2019 को आदिवासी सॅस्कृति पर एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। साथ ही आदिवासी महिला परिसंवाद, आदिवासी साहित्य सम्मेलन, एवं आदिवासी बच्चों के सॉस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये गये थे ताकि आज समाज के युवा जनजाति सदस्य अपनी कला और सॅस्कृति को देख, सुन और समझ सकें।

12. दिनॉक 14 जनवरी 2019 को स्थानीय नरोली चौराहे से सम्मेलन स्थल तक वाहन रैली निकाल कर आदिवासी कला, सॅस्कृति, भाषा इत्यादि का प्रचार प्रसार किया गया। परिषद के नये अध्यक्ष का निर्वाचन, प्रमुखों के उदबोधन, राज्यों के प्रतिनिधियों के प्रतिवेदन और आदिवासी एकता परिषद की भूमिका एवं चुनौतियों पर चर्चा की गई।

13. प्रबोधन सत्र में 1 बजे से 5 बजे तक निम्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

A. आदिवासी जीवनशैली, जीवन मूल्य एवं जीवन दृष्टि, परम्परागत कृषि एवं भूमि और जलस्श्रोत का प्रबंधन, पर चर्चा की गई।

B. आधुनिक संचार साधनों आदि का जनजाति समाज पर प्रभाव एवं पर्यावरण संतुलन विषय पर भी चर्चा की गई।

C. प्राकृतिक संसाधन का पुर्ननिर्माण एवं आदिवासी स्वावलंबन विषय पर भी चिंतन किया गया।

D. देश में विभिन्न वजहों से आदिवासी ऑदोलनो पर भी विचार किया गया।

E. आदिवासी भाषा, कला साहित्व एवं ज्ञान तथा आदिवासी जन प्रतिनिधियों का समाज के प्रति दायित्व एवं चुनौती विषयों पर भी चिंतन किया गया।

14. इसी दिन समय 5 बजे से 7 बजे तक युवा सत्र में जिन विषयों पर चर्चा हुई वे इस प्रकार से हैं :–

A. जन प्रतिनिधियों की समस्या एवं मर्यादा।

B. समाज के युवाओं के समक्ष चुनौतियॉ।

C. आदिवासी समाज की समस्याएँ एवं निराकरण।

D. वर्तमान शिक्षण प्रणाली एवं आदिवासी समाज।

E. अनुसूचित जनजाति अत्याचार कानून।

F. वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण का आदिवासी समाज पर प्रभाव।

G. आदिवासी समाज का अध्यात्म।

उपरोक्त गंभीर विषयों पर आदिवासी एकता परिषद द्वारा चिंतन मनन किया गया।

15. रात्रि में महा–सम्मेलन के प्रस्ताव पारित किये गये तथा आदिवासी सॉस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। आदिवासी कलाकार द्वारा बनाई गई महा–सम्मेलन की थीम के चित्र का अनावरण भी किया गया जिसमें चित्रकार द्वारा जनजाति संस्कृति का सुन्दर चित्रण किया गया है।

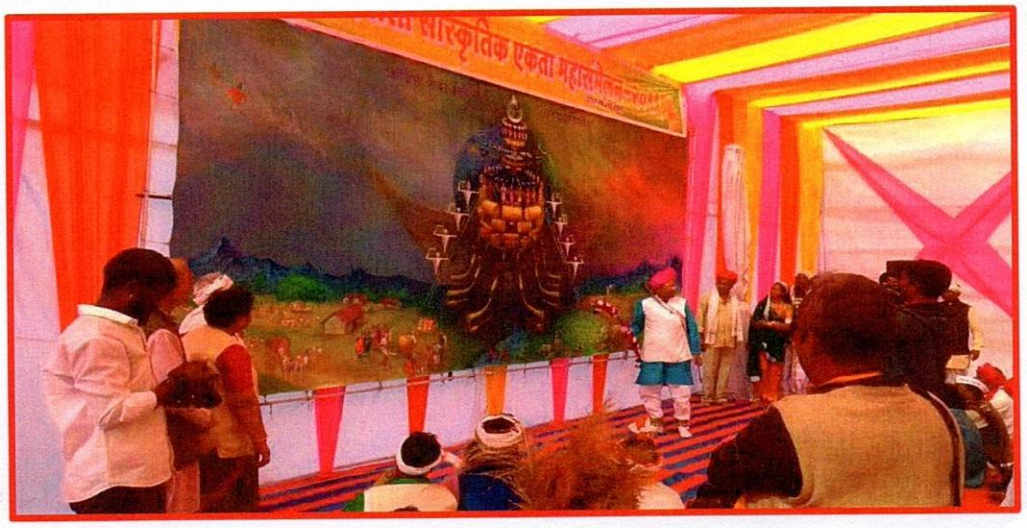

(आदिवासी एकता परिषद, के 26वें अखिल भारतीय आदिवासी सॉस्कृतिक एकता महासम्मेलन, सिलावासा की थीम का अनावरण करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.)

16. मैंने अपने उद्‌बोधन में समाज से कुरीतियों को मिटाने तथा गोंड समाज के वैभव को पुनः जीवित करने के लिये उपस्थित जनजाति समाज से जागरूक होकर कार्य करने का आहवान किया। मैंने उपस्थित

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

जनजाति समुदाय को उसकी योग्यताओं से अवगत कराते हुए कहा कि देश को आगे बढ़ाने में आदिवासी समाज की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। जनजाति सॅस्कृति सम्पन्न और अनोखी है, इसलिए सॅस्कृति जीवित है और देश और सम्पूर्ण विश्व में इसे अपनाया जा रहा है। वर्तमान में आधुनिक समाज जनजाति समाज की गोदना कला को टेटू के नाम से अपना रहा है। हमारे संगीत के आधार पर ही फिल्मी दुनिया में गीत और संगीत बन रहे हैं और लोकप्रिय तथा प्रचलित भी हो रहे है।

17. साथ ही मैंने अपने उद्‌बोधन में जनजाति आयोग के गठन की प्रक्रिया, संविधान में इसके गठन के उद्‌देश्य एवं सोच के बारे में, पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया, संवैधानिक प्रावधान, पदाधिकारियों के अधिकार और कार्यप्रणाली व आयोग के माध्यम से जनजाति वर्ग के पीड़ित व्यक्तियों को मिल रहे न्याय के बारे में आयोग के सफल प्रकरणों के माध्यम से बताया। उपस्थित समुदाय को बताया कि आयोग में प्राप्त शिकायतों, अपील, में सुनवाई कर न्याय दिलाने का कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है। प्रचलित शासकीय योजनाओं और उनका लाभ प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया से भी अवगत कराया।

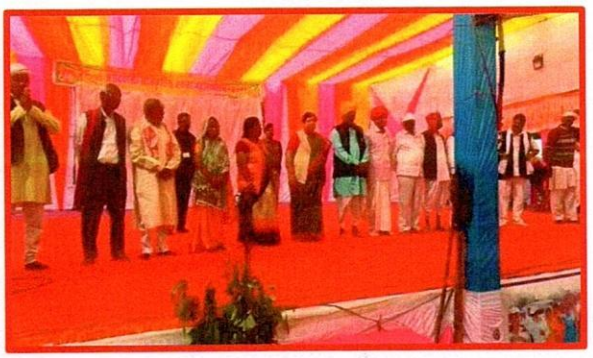

(आदिवासी एकता परिषद, के 26वें अखिल भारतीय आदिवासी सॉस्कृतिक एकता महासम्मेलन, सिलावासा को संबोधित करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.)

18. विभिन्न जनजाति संगठनों के पदाधिकारियों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर अपनी समस्याओं के ज्ञापन भी प्रस्तुत किये। उनके द्वारा बताया गया कि :–

A. छात्रवृत्ति के लिये 2.50 लाख रूपये की आय की सीमा को बढाया जाना चाहिए।

B. गुजरात में फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर 70 प्रतिशत व्यक्ति शासकीय सेवा में हैं, उन्हें हटाकर उनके स्थान पर वास्तविक योग्य जनजाति व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए।

C. राष्ट्रीय स्तर पर जनजाति के व्यक्ति के लिये एक जैसे प्रारूप में प्रमाणपत्र जारी होना चाहिए ताकि किसी एक प्रदेश के व्यक्ति को दूसरे प्रदेश में परेशानी न हो।

D. जाति प्रमाणपत्र को प्रारूप आयोग से अनुमोदित होकर एक जैसा जारी किया जाना चाहिए।

(जनजाति प्रतिनिधियों से भेंट करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

19. सिलावासा में प्राप्त ज्ञापनों को आयोग में प्रस्तुत कर ज्ञापन के अनुसार आवश्यक कार्यवाही के पृथक से निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

6.	अनुवर्ती कार्यवाही किया गया एवं किसके द्वारा :	A. बैंकों में अनुसूचित जनजाति जाति वर्ग के बैकलॉग को शीघ्र पूरा किया जाये। B. नार्थईस्ट रीजन में जनजातियों के सभी प्रकार के शोषण को रोकने के लिये सभी संभव एवं प्रभावी तरीके का प्रयोग किया जाना चाहिए। C. आदिवासी एकता परिषद द्वारा 26 वें सम्मेलन में जिन विषयों को चर्चा में लिया गया है, उनका विवरण उपर दिया गया है। वे सभी विचारणीय हैं और उनपर चिंतन, मनन कर, नीति निर्धारण के समय विचार किया जाना चाहिए। D. जनजाति प्रतिनिधियों द्वारा जो मांगपत्र एवं ज्ञापन दिये गये थे वे आयोग में प्रस्तुत किये गये हैं उनपर संबंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। E. जन प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि गुजरात में छात्रवृत्ति के लिये 2.50 लाख रूपये आय की ऊपरी सीमा हैं। इस समस्या का परीक्षण कर गुजरात सरकार आवश्यक कार्यवाही करें। F. जो व्यक्ति गुजरात में फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर शासकीय सेवा में कार्यत हैं उनके प्रमाणपत्रों का सत्यापन कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित हो। G. राष्ट्रीय स्तर पर जनजाति के व्यक्ति के लिये एक जैसे प्रारूप में प्रमाणपत्र जारी होना चाहिए संबंधित विभाग से उपयुक्त कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है।

(सुश्री अनुसुईया उइके)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi